प्रेषक,

शरद कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 08 जनवरी, 2013**

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनान्तर्गत मै0 बोन-बोन, नोयडा के बेकरी इकाई की स्थापना हेतु स्वीकृत अनुदान की प्रथम किस्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0-830/खा0प्र0मि0/1301/13-14, दिनांक 29 नवम्बर, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै0 बोन-बोन, नोयडा के बेकरी इकाई की स्थापना हेतु स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांक: 30.08.2013 द्वारा अनुदान की संस्तुति प्रदान की गई है।

3. उक्त संस्तुति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-10 आयोजनागत पक्ष में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन हेतु शासनादेश संख्या-317/58-2-2013-300(18)/2012, दिनांक- 05.06.2013 द्वारा रू0-2,10,00 हजार की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर उपलब्ध है। इस धनराशि में से मुख्य योजना हेतु उपलब्ध धनराशि रू0-1,600 हजार में से उक्त कार्य हेतु अनुदान की प्रथम किस्त रू0-6.435 लाख (रूपया छः लाख तैतालीस हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(2) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन द्वारा कराया जायेगा।

(3) अनुदान हेतु स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि जारी करने से पूर्व भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

.....2/-

(4) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक मिशन द्वारा किया जायेगा तथा मासिक आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का आडिटेड उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(8) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन तथा वित्त नियंत्रक उत्तरदायी होंगे।

(9) भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश शासनादेश संख्या-431/58-2-2013-17/13, दिनांक- 08.08.2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शरद कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-04/1068(1)/58-2-2013, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।

(2) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(3) मुख्य वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(7) मै0 बोन-बोन, एफ-1 प्लाट नं0-18, नोयडा-201301

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनुसचिव।